



2026:AHC:36093-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2419/2026

संतोष उर्फ ईशा और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता:

लाल बिहारी यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 17.12.2025 को दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (मुकदमा अपराध संख्या 0116/2025 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है, जो गौ हत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8, 5, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 और बीएनएस की धारा 109(1), 325 के अंतर्गत दर्ज है। यह मामला कंधा पुलिस थाना, जिला-चंदौली में दर्ज है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुति किया है कि याचिकाकर्ता पूर्ण रूप से निर्दोष हैं तथा उले दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं होता है और इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना चाहिए।
4. इसके विपरीत विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का पूर्ण शक्ति से विरोध किया है और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता घटना स्थल पर उपस्थित थे तथा किसी तरह पुलिस की पकड़ से बच निकले, हालांकि वहां उपस्थित कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिया है तथा पंजीकरण संख्या यूपी 54 बीटी 6528 वाली एक गाड़ी भी जब्त कर लिया है, जिसपर मवेशियों के वध के लिए दूसरे राज्य ले जाने के लिए लादा गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता घटनास्थल पर उपस्थित थे तथा किसी प्रकार से पुलिस की गिरफ्त से बच निकले, प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया और माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843 ऑफ 2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य के मामले में दिए गए विधि की दृष्टि में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. दोने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासांगिक विधि को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता घटनास्थल पर उपस्थित थे और किसी प्रकार पुलिस की गिरफ्त से बच निकले, यद्यपि वहां उपस्थित कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पंजीकरण संख्या यूपी 54 बीटी 6528 वाली एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। जिसपर मवेशियों को वध के लिए दूसरे राज्य ले जाने हेतु लादा गया था, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विद्वान अपर शासकीय द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संगेय अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकृति की जाती है।

6. जो भी हो, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा एवं उसका निस्तारण किया जाएगा।

7. उपरोक्त अवलोकन के साथ इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

जफर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”